251

संख्या– —— /XXXVI(1)/2013–75/2007–टी0सी0 III

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्री आदित्य सिंह,
अधिवक्ता,
ए–56, सेक्टर–61,
नोयडा, उ0प्र0।

न्याय अनुभाग:1 देहरादून : दिनांक 18 जून, 2013

विषय : मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु पैनल अधिवक्ता के रूप में आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड राज्य का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए आपको पैनल अधिवक्ता के रूप में शासनादेश जारी होने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक आबद्ध किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– आपको उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–123/XXXVI(1)/2013–43 एक(1)/2003 दिनांक 10–04–2013 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित फीस अनुमन्य होगी।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि सहमत हो तो कृपया अपनी लिखित सहमति उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1760(1)/XXXVI(1)/2013–75/2007–टी0सी0 III तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4– महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

क्रमश.....2

7— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
9— ईरला चैक अनुभाग, उत्तरखण्ड शासन।
10— गार्ड फाईल / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव